अपील सूचना अधिकार संख्या 36/2017 अनवानी श्री चन्द्रकुमार सोनी निवासी एल–5, मॉडल टाउन, सूरतगढ रोड, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.05.2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री चन्द्र कुमार सोनी उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्र0) श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रतिवेदन सं0 2683 दिनांक 08.05.17 शामिल किया गया। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.03.17 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से कुल 7 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी। बिन्दु सं0 5 से 7 की सूचना के लिए उसका आवेदन पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग को अग्रेषित किया गया था जिसकी सूचना उनके द्वारा उपलब्ध करवा दी गयी है किन्तु बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना के संबंध में बिन्दू सं0 1 की सूचना प्रश्नात्मक बताकर देने से ईन्कार किया गया है एवं बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना उसे उपलब्ध करवाने के लिए लोक सूचना अधिकारी को आदेश दिया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री चन्द्र कुमार सोनी ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 08.03.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1– न्याय शाखा श्री गंगानगर में अक्टूबर 2014 से अब तक कार्यरत सभी प्रभारी अधिकारियों व कर्मचारियों का नाम, पदनाम व कार्यकाल अवधि बताएं।

2– न्याय शाखा को मेरे द्वारा 10 फरवरी 2016, 09 सितम्बर 2016, 15 दिसम्बर 2016 व 22 फरवरी 2017 को दिये गये ज्ञापनो (सभी ज्ञापन ''सांध्य बॉर्डर टाइम्स'' शीर्षक से) की छाया प्रतियां व प्रगति रिपोर्ट की छाया प्रतियां।

3– न्याय शाखा को मेरे द्वारा 10 फरवरी 2016, 09 सितम्बर 2016, 15 दिसम्बर 2016 व 22 फरवरी 2017 को दिये गये ज्ञापनो पर की गयी कार्यवाही की जानकारी देंवें।

4– न्याय शाखा द्वारा पुरूष शौचालयों में हुई चोरियों का मुकदमा दर्ज कराने (मुकदमा नम्बर, मुकदमा दिनांक, थाना आदि) अथवा अन्य विभागीय कर्रवाई की जाने की जानकारी देवें।

5– जिला कलक्ट्रेट परिसर स्थित पुरूष शौचालय के निर्माण की दिनांक बतावें।

6– उपरोक्त पुरूष शौचालय के निर्माण की लागत व लगाए गए वाशबेसिन, नल, टोंटियों व यूरिनल फलशो की संख्या बतावें।

7– पिछले दो सालो (मार्च 2015 से मार्च 2017 तक) में किए गए खर्चे व मरम्मत आदि की जानकारी देवे।

अपीलार्थी के कथनानुसार बिन्दु सं0 5 से 7 की सूचना सार्वजनिक विभाग से उसे प्राप्त हो चुकी है शेष बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना उपलब्ध करवाने के आदेश चाहे है।

बिन्दु सं0 1 की सूचना के संबंध में राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर स्थापना अनुभाग द्वारा पत्र सं0 1436 दिनांक 17.03.17 से सूचना प्रश्नात्मक बताकर देने से ईन्कार किया है व बिन्दु सं0 2 व 3 की सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा से है व इसी प्रकार बिन्दु सं0 4 की सूचना का संबंध कार्यालय अधीक्षक से है। इस संबंध में उनके द्वारा भी कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

बिन्दु सं0 5 से 7 की सूचना संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपीलार्थी को दी जा चुकी है जिसमें अपीलार्थी को कोई आपति नही है। जहां तक बिन्दु 1 की सूचना का संबंध है, वह प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए बिन्दु सं0 1 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

जहां तक बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचनांओ का संबंध है वह जिला कलक्टर कार्यालय की विभिन्न शाखाओ से संबंधित है। जिस पर भी जिला कलक्टर कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा ही नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिये था। परन्तु उक्त सूचनांओ पर कोई निर्णय नही लिया गया है। अतः बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचना के संबंध में अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई आवेदन पत्र की बिन्दु सं0 2 से 4 की सूचनांओ के संबंध में आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के अन्दर–अन्दर आवश्यक रूप से नियमानुसार निस्तारण करें। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर